"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च 2018—फाल्गुन 18, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2018

क्रमांक ई 7-09/2015/एक-2.—श्री ऋतुराज रघुवंशी, भा.प्र.से. (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद को दिनांक 21-02-2018 से दिनांक 24-02-2018 तक (कुल 04 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ऋतुराज रघुवंशी आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री ऋतुराज रघुवंशी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ऋतुराज रघुवंशी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरज लाल, अवर सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2018

क्रमांक एफ 7-7/2001/10-2.—छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 के नियम 3 के परन्तुक के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा किसी व्यक्ति के स्वामित्व की वनोपज की निम्नलिखित प्रजातियों को जो नीचे सारणी में दर्शित है, उक्त नियमों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती है. तदानुसार छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

नियम 4 के उप नियम (ख), खंड 01 के सरल क्रमांक (ग्यारह) में बांस-07 जिलों में—1. सरगुजा, 2. जशपुर, 3. जांजगीर-चांपा, 4. कोरबा, 5. धमतरी, 6. कवर्धा, 7 महासमुन्द को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये :—

(ग्यारह) में बांस-09 जिलों में- 1. सरगुजा, 2. जशपुर, 3. जांजगीर-चांपा, 4. कोरबा, 5. धमतरी, 6. कवर्धा, 7. महासमुन्द, 8. बलरामपुर, 9. सूरजपुर.

F. No. 7-7/2001/10-2.— In Exercise of the powers conferred by clause (b) of proviso to rule 3 of the Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rules 2001, the State Government hereby, exempts the following species of forest produce owned by any person, from the operation of the said rules, and accordingly hereby makes the following amendment in Chhattigarh Transit (Forest Produce) Rules 2001.

AMENDMENT

In the Said Rules :—

The Serila no. (xi) of the clause (I) of the sub rule (B) of the rule 4, in place of 07 districts namely—1. Sarguja, 2. Jashpur, 3. Janjgir-Champa, 4. Korba, 5. Dhamatari, 6. Kawardha, 7. Mahasamund the following 09 districts are inserted—1. Surguja, 2. Jashpur, 3. Janjgir-Champa, 4. Korba, 5. Dhamtari, 6. Kawardha, 7. Mahasamund, 8. Balrampur, 9. Surjpur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 जून 2016

क्रमांक 5747/1228/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अतिष्ठित करते हुए यह आदेशित करता है कि अवमानना प्रकरणों में शासकीय अधिकारी/कर्मचारी की ओर से माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष राज्य शासन का प्रतिनिधित्व करने हेतु नियुक्त विधि अधिकारी/अधिवक्ता को प्रत्येक प्रभावी सुनवाई तिथि हेतु राशि रुपये 15,000/- (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) की दर से शुल्क भुगतान किया जावेगा.

यह स्वीकृति वित्त विभाग के क्रमांक एफ 2016-21-00758/बी-3/चार 4 दिनांक 07-06-2016 के द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, प्रमुख सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2018

क्रमांक एफ 10–4/2016/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) जिस रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, की धारा–3 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश में गठित न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर न्यूनतम वेतन अधिनिमय के परिशिष्ट में उल्लेखित "किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण के नियोजन" के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4191 (2001=100) के आधार पर आंकड़ों के साथ जुलाई 2016 से जून 2017 तक अवधि में हुई औसत बिन्दुओं के कुल योग 6321 (4191 + 2130 = 6321 पाईंट) की वृद्धि को मूल वेतन के साथ विलय करने के उपरांत प्राप्त न्यूनतम वेतन की दरों का पुनरीक्षण कर न्यूनतम वेतन 20% की वृद्धि करते हुए नवीन न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित करना प्रस्तावित करता है, जो उक्त अधिनियम की धारा–5 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) की अपेक्षानुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों के लिए जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है और एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव पर इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से दो माह की अवधि व्यतीत होने के पश्चात विचार किया जावेगा.

ऐसी किसी आपत्ति या सुझाव पर जो उक्त प्रस्ताव के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

अनुसूची

तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजन

कर्मचारयों का वर्ग	मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	रु. 80.20		रु. 96.24 प्रति हजार किंतु यदि श्रमिक का किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रुपये 494.00 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना की परिशिष्ट में बताई गई शर्तो के अनुसार कम से कम रुपये 494.00 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा.
रेलाई श्रमिक **बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना**			
लेबल चिपकाने तथा पुड़ों को बनाने या चिपकाने सबंधी कार्य.	रु. 44.32 प्रति 1000 कट्टों पर	एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार.	53.18
यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है.	रु. 46.96 प्रति 1000 कट्टों पर	एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार.	56.35
झिल्ली एवं लेबल लगाने सबंधी कार्य			
झिल्ली लेबल लगाना	रु. 40.05 प्रति 1000 कट्टों पर	1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार	48.06
झिल्ली लगाना	रु. 29.33 प्रति 1000 कट्टों पर	1.5 पैसे प्रति बिन्दु चार हजार.	35.20

(1)	(2)	(3)	(4)
लेबल लगाना	रु. 10.92 प्रति 1000 कट्टों पर	1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार	13.10
पुड़ा बनाना या चिपकाना	रु. 11.20 प्रति 1000 कट्टों पर	1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार	13.44
एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो			
आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो.	रु. 165.73 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बिड़ी पर	198.88
झिल्ली आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रु. 180.02 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर.	216.02
झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य हो.	रु. 180.02 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बिड़ी पर.	216.02

नोट :— बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीड़ी छाँटने या जांच करने वाले, तंबाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला, रसोईया, ड्राईवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाउंटेंट, मुनीम, कैशियर, गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर, टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित कुशल, अर्धकुशल और अकुशल के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे.

इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा :—

1. **कुशल** — ड्राईवर (चालक) (भारी वाहन) एकाउंटेंट, मुनीम, कैशियर, स्टोर कीपर हेड क्लर्क, गोडाउन कीपर.
2. **अर्ध कुशल** — बीड़ी छांटने या जांच करने वाले, भट्टीवाला, ड्राईवर (हल्का वाहन), टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क.
3. **अकुशल** — ट्रक से माल चढ़ाने व उतारने वाले या बीड़ीयों के पुड़ों के कार्य में लगा श्रमिक, भृत्य, श्रमिक.

बीड़ी नियोजन में उपरोक्तानुसार मासिक दर पर कार्यरत् कर्मचारियों हेतु वर्तमान में शासन द्वारा 45 अधिसूचित नियोजनों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन वर्गवार/योजनावार प्रभावशील होगा.

स्पष्टीकरण

1. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वो किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में परिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है.

2. परिवर्तनशील महँगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ तीन में लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6321 (2001=100) पर आधारित है. 6321 सूचकांक के ऊपर प्रति एक वर्ष में जुलाई से जून तक जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तंभ क्रमांक-3 में वृद्धि दिनांक 1 अक्टूबर से की जावेगी और स्तंभ 3 में परिवर्तनशील महँगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील महँगाई भत्ता मानी जावेगी. 1 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की वृद्धि की गणना मत जुलाई से जून तक के एक वर्ष के सूचकांक के आधार पर की जावेगी जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय-समय पर प्रकाशित की जावेगी.

3. निर्धारित मासिक वेतन कैलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा.

4. जहाँ नियोजन प्रति सप्ताह 5600 बीड़ी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तंबाकू, तेन्दूपत्ता, धागा, पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीड़ी के लिए देय वेतन तथा विशेष महँगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारन्टेड वेज कहा जाएगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा.

5. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई बीड़ी का जो वेतन अर्जित करेगा, वह भी सम्मिलित होगा.

6. यदि कर्मचारी अन्य इच्छा से किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गए कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई बीड़ी का जो वेतन अर्जित करेगा, यह भी सम्मिलित होगा.

7. जो कर्मचारी दिये गये कच्चे माल की मात्रा यद्यपि यह 5600 बीड़ियाँ सप्ताह में बनाने के लिए पर्याप्त हो कि पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है तो यह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा.

8. आग, विपत्ति महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता तो कर्मचारी वेज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा.

नया रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2018

क्रमांक एफ 10-4/2016/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) जिस रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, की धारा-3 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रदेश में गठित न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर न्यूनतम वेतन अधिनिमय के परिशिष्ट में उल्लेखित "अगरबत्ती उद्योग में नियोजन" के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1285 (2001=100) के आधार पर आंकड़ों के साथ जुलाई 2016 से जून 2017 तक अवधि में हुई औसत बिन्दुओं के कुल योग 1285 की वृद्धि को मूल वेतन के साथ विलय करने के उपरांत प्राप्त न्यूनतम वेतन की दरों का पुनरीक्षण कर न्यूनतम वेतन 50% की वृद्धि करते हुए नवीन न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित करना प्रस्तावित करता है, जो उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) की अपेक्षानुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों के लिए जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है और एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव पर इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से दो माह की अवधि व्यतीत होने के पश्चात विचार किया जावेगा.

ऐसी किसी आपत्ति या सुझाव पर जो उक्त प्रस्ताव के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सराकर द्वारा विचार किया जावेगा.

अनुसूची

अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित महँगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अ.	अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर)	रु. 17.97 पैसे	5 पैसा प्रति 4 हजार (1.25 पैसे प्रति बिन्दु)	26.96
	साधारण सुगंधित (सेंटेंड)	रु. 18.44 पैसे	5 पैसा प्रति 4 हजार (1.25 पैसे प्रति बिन्दु)	27.66

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आ.	निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पैकेट में भरना, पैकेट के दोनों ओर चिट लगाकर पैकेट बंद करना.			
	बिना सिलोफेन या जिलेटिन के			
1.	10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 14.70 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	22.05
2.	20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 15.17 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	22.76
3.	30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 15.17 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	22.76
4.	40 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 19.26 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 400 (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	28.89
5.	70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 25.86 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	38.79
6.	80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 29.71 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु)	44.57
7.	100 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 30.58 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु)	45.87
8.	200 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 37.61 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	56.41
	सिलोफेन या जिलेटिन के			
1.	10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 15.17 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	22.76
2.	20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 18.91 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 400 (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	28.37
3.	30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 24.20 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	36.30
4.	40 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 24.70 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	37.05
5.	70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 26.10 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	39.15
6.	80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 30.58 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु)	45.87

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	100 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 36.66 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	54.99
8.	200 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 38.54 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	57.81
इ.	निम्नानुसार पुंगली बनाकर पैक करना निम्न संख्या में अगरबत्तियों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलियों में भरकर, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन ब्राउन पेपर लगाकर बंद कर चिट लगाना.			
	बिना सिलोफेन या जिलेटिन के			
1.	10 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु. 12.19 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 600 (0.0083 पैसा प्रति बिन्दु)	18.29
2.	12 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु. 12.64 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 600 (0.0083 पैसा प्रति बिन्दु)	18.96
3.	23 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु. 15.15 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	22.73
4.	50 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु. 15.64 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	23.46
5.	100 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु. 18.91 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 400 (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	28.37
6.	200 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु. 20.07 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 600 (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	30.11
ई.	**सारे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बंद करना :—**			
1.	5 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु. 2.81 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 2500 (0.0020 पैसा प्रति बिन्दु)	4.22
2.	10 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु. 3.20 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 2200 (0.0022 पैसा प्रति बिन्दु)	4.80
3.	पुंगली बनाने के कागज प्रति 1000	रु. 4.88 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 1500 (0.0033 पैसा प्रति बिन्दु)	7.32

नोट :— अगरबत्ती उद्योग से संबंद्ध कर्मचारी जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्राईवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला, एकाउंट केशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी.

अगरबत्ती नियोजन में उपरोक्तानुसार मासिक दर पर कार्यरत् कर्मचारियों हेतु वर्तमान में शासन द्वारा 45 अधिसूचित नियोजनों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन वर्गवार/जोनवार प्रभावशील होगा.

स्पष्टीकरण

1. अनुसूची के कॉलम-2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (व्ही.डी.ए.) जुलाई 2016 से दिसम्बर 2016 में औसत अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक (जिले इसमें इसके पश्चात् सूचकांक कहा जायेगा) 1285 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रति बिन्दु सम्मुख अंकित किये गए अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये रुपये 1.25 पैसे प्रति बिन्दु प्रतिमाह की दर से संदेह होगा. जिसकी गणना प्रत्येक छः माह जनवरी से जून तथा जुलाई से दिसम्बर जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमशः 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी. इस प्रकार से संगणित परिवर्तनशील महंगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा. उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित किया जावेगा.

2. अधिसूचना न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है.

3. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहां मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है, वहां यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो तो, मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में बताये गये अनुसार विश्राम दिवस का पारिश्रमिक सम्मिलित होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. शंगीता, विशेष सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2018

क्रमांक एफ 7-29/2012/12.—खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 सहपठित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 49 के उप-नियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त नियम में निम्नलिखिनत संशोधन करती है, जो 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"अनुसूची-तीन
(नियम 49 देखिए)

स्वामित्व की दरें

स. क्र.	खनिज	दरें
(1)	(2)	(3)
1.	आकारीय पत्थर—ग्रेनाइट, डोलेराइट और अन्य आग्नेय, परतदार तथा परिवर्तित चट्टाने, जिनका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार में ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिये किया जाता है :—	—
	(क) काला रंग	रुपये 2000 प्रति घनमीटर
	(ख) अन्य रंग	रुपये 750 प्रति घनमीटर

(1)	(2)	(3)
2.	संगमरमर, जिसका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिये किया जाता है.	रुपये 850 प्रति घनमीटर
3.	अन्य प्रयोजन के लिये प्रयुक्त संगमरमर पत्थर	रुपये 400 प्रति घनमीटर
4.	फ्लेगस्टोन-प्राकृतिक परतदार पत्थर, जिसका उपयोग फर्श, छत आदि के लिये किया जाता है.	रुपये 120 प्रति घनमीटर
5.	साधारण रेत, बजरी	रुपये 50 प्रति घनमीटर
6.	मुरूम	रुपये 50 प्रति घनमीटर
7.	पत्थर	
	(क) बोल्डर	रुपये 130 प्रति घनमीटर
	(ख) गिट्टी, रोड मेटल	
	(ग) परिष्कृत पत्थर, खण्डा, ढोका	
8.	साधारण मिट्टी : ईंट, बर्तन एवं कवेलू बनाने के लिए/निर्माण कार्य में व्यवसायिक उपयोग के लिए मिट्टी.	रुपये 50 प्रति घनमीटर
9.	(क) डोलोमाइट (उद्योगों में उपयोग हेतु)	रुपये 90 प्रतिटन
	(ख) डोलोमाइट (सड़क एवं भवन निर्माण)	
10.	कोरण्डम	विक्रय मूल्य का 15 प्रतिशत
11.	सोपस्टोन	विक्रय मूल्य का 20 प्रतिशत
12.	फायरक्ले/चाईना क्ले/अन्य क्ले	विक्रय कूल्य का 15 प्रतिशत
13.	ऑकर	रुपये 30 प्रति टन
14.	लैटेराइट : धातुकर्म में उपयोग/अन्य उपयोग में	रुपये 60 प्रति टन
15.	क्वार्ट्ज	रुपये 90 प्रति टन
16.	क्वार्ट्जाइट	रुपये 140 प्रति टन
17.	सिलिका सेण्ड/अन्य बालू	रुपये 75 प्रति घनमीटर
18.	अन्य गौण खनिज	रुपये 60 प्रति घनमीटर”

2. अनुसूची-चार में, सरल क्रमांक 6 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“6 क	अनुसूची-एक के भाग-ख में विनिर्दिष्ट खनिजों.	निरंक	5,000	7,500”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, उप-सचिव.

टीप :— छत्तीसगढ़ गौणखनिज नियम, 2015 को छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27-03-2015 में प्रकाशित किया गया था, जिसके हिन्दी पाठ में शुद्धिपत्र दिनांक 30-01-2016 जारी किया गया. अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, दिनांक 23-03-2016, 13-02-2017 तथा 12-04-2017 द्वारा संशोधित किया गया. मूल नियम को अंतिम बार अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, दिनांक 26-10-2017 द्वारा संशोधित किया गया.

नया रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2018

क्रमांक एफ 7-29/2012/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 7-29/2012/12, दिनांक 5 मार्च 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 5th March 2018

No. F-7-29/2012/12.—In Exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) read with sub-rule (5) of rule 49 of the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015, the State Government, hereby, makes the following further amendment in the said rules with effect from 1st April, 2018, namely:i;s

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—
1. For Schedule-III, the following shall be substituted, namely:i;s

"SHCDULE-III
(See Rule 49)

Rates of Royalty

S. No. (1)	Mineral (2)	Rates (3)
1.	Dimensional Stone-Granite, dolerite, and other igneous, sedimentary and metamorphic rocks which are used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension.	
	(a) Black colour	Rs. 2000 per cubic metre
	(b) Other colour	Rs. 750 per cubic metre
2.	Marble, used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension.	Rs. 850 per cubic metre
3.	Marble stone used for other purposes	Rs. 400 per cubic metre
4.	Flagstone-natural sedimentary rock which is used for flooring, roof top etc.	Rs. 120 per cubic metre
5.	Ordinary Sand, bajri	Rs. 50 per cubic metre
6.	Murrum	Rs. 50 per cubic metre
7.	Stone	Rs. 130 per cubic metre
	(a) Boulder	
	(b) Gitti, rodmetal	
	(c) Dressed Stone, Khanda, Dhoka	
8.	Ordinary Soil; Soil for making bricks, pots and tiles/soil for commercial used in construction works.	Rs. 50 per cubic metre

(1)	(2)	(3)
9.	(a) Dolomite (industrial use) (b) Dolomite (Road and building construction)	Rs. 90 per tonne
10.	corundum	15 percent of sale price
11.	Soapstone	20 percent of sale price
12.	Fire Clay/China Clay/Other Clay	15 percent of sale price
13.	Ochre	Rs. 30 per tonne
14.	Laterite : Metallurgical use/Other use	Rs. 60 per tonne
15.	Quartz	Rs. 90 per tonne
16.	Quartazite	Rs. 140 per tonne
17.	Silica sand and other sand	Rs. 75 per cubic metre
18.	Other Minor Minerals	Rs. 60 per cubic metre"

2. In Schedule-IV, after Serial No. 6, the following shall be inserted, namely, :i;s

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"6A	Minerals specified in Part B of Schedule I	Nil	5,000	7,500"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
EFFAT ARA, Deputy Secretary.

Note :— The Chhattisgrh Minor Mineral Rules, 2015, were notified in the Chhattisgarh Rajpatra (Asadharan) dated 27-3-2015, corrigendum dated 30.01.2016 issued for Hindi part of it. The Rules were further amended vide notification number F 6-42/2012/12, dated 23.3.2016, 13.2.2017 and dated 12.4.2017. The principal rules were lastly amended vide notification number F 6-42/2012/12, dated 26.10.2017.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2018

क्रमांक एफ 5-01/आठ-परि./2018.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 68 की उप धारा (5) सहपठित धारा 96 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, कि जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, तृतीय तल, सी-ब्लॉक, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियम में,—

नियम 66 में,

(एक) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(क-क) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 72 या धारा 81 के अंतर्गत "राजधानी बस सेवा" हेतु अनुज्ञापत्रों को स्वीकृत करना, नवीनीकृत करना या अस्वीकृत करना,"

(दो) खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(ज) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 81 के अंतर्गत अन्तर्राज्यीय मार्गों के स्वीकृत अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण स्वीकृत करना या अस्वीकृत करना."

No. F-5-01/VIII/Trans./2018.—The following further draft to amend the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 68 read with sub-section (2) of Section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of ten days from the date of publication of this notice in the official Gazette;

Any Objection or suggestions regarding the said draft received from any person, before the specified period, during office hours by the office of the Transport Commissioner, Government of Chhattisgarh, Department of Transport, Third Floor, C-Block, Indrawati Bhavan, Naya Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,

In rule 66,—

(i) After clause (a), the following shall be inserted namely :—

"(a-a) To grant renew or rjeject the permit for "Rajdhani Bus Sewa" under Section 72 or Section 81 of the Motor Vehicles Act, 1988;"

(ii) After clause (g), the following shall be added namely :—

"(h) To grant or refuse renewal of sanctioned permits of Inter State Route under Section 81 of the Motor Vehicle Act, 1988."

नया रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2018

क्रमांक एफ 5-02/आठ-परि./2018.—यत: राज्य सरकार की राय है कि "राजधानी बस सेवा" योजना के अंतर्गत लंबी दूरी, नॉन-स्टॉप, वातानुकूलित, प्रक्रम वाहन सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिये प्रथम अनुसूची के मद चार के उप-मद (घ) के खण्ड (1) के उप-खण्ड (स) के अंतर्गत भुगतान योग्य मासिक कर से 50% की छूट दी जाये;

अतएव, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 21 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सराकर, एतद्द्वारा प्रथम अनुसूची के मद चार के उप-मद (घ) के खण्ड (1) के उप-खण्ड (स) के अन्तर्गत भुगतान

योग्य मासिक कर से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए 50% की छूट प्रदान करती है, जो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगी, अर्थात् :—

1. इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात्, 50% की छूट वैध अनुज्ञा के अन्तर्गत सेवा के संचालन की तारीख से एक वर्ष की के लिये वैध होगी.

2. तालिका 'अ' में दिये गये मार्गों में उल्लिखित स्टापेज से भिन्न किसी स्टापेज पर यात्रियों की सुविधा के लिए वाहन नहीं रोकेंगे और यात्रियों को भी नहीं चढ़ायेंगे.

3. संचालक, आवंटित समय सारणी के आधार पर प्रक्रम वाहन का संचालन करेंगे.

4. संचालक, उक्त राजधानी बस सेवा (वातानुकूलित) के लिये शासन द्वारा यथा विनिश्चित रंग योजना का अनुपालन करेंगे.

5. इस योजना, जो कि राजधानी बस सेवा के रूप में अभिहित है, के अंतर्गत संचालित प्रक्रम यात्री वाहन, उनके पंजीयन की तारीख से 5 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी तथा परमिट स्वीकृति के समय, यह, पंजीयन की तारीख से 2 वर्ष अधिक पुरानी नहीं होगी.

6. ऐसे प्रक्रम यात्री वाहन, डीलक्स वातानुकूलित होगी एवं उसकी बैठक क्षमता 35+2 सीटों से कम नहीं होगी.

7. छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 170-क से नियम 170-च के अंतर्गत निर्मित स्लीपर कोच, इस योजना के अंतर्गत अनुज्ञात नहीं किये जायेंगे.

8. संबंधित अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी, ऐसे प्रक्रम वाहन सेवा के संचालन की तारीख अवधारित करेंगे और संबंधित कर रजिस्टर में संचालन की ऐसी तारीख का उल्लेख करेंगे.

9. अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित कोई अन्य शर्तों का अनुपालन बस संचालक द्वारा किया जायेगा.

तालिका "अ"

स.क्र. (1)	मार्ग (2)
1.	रायपुर से अंबिकापुर (स्टापेज बिलासपुर एवं बिलासपुर हाईकोर्ट)
2.	रायपुर से बैकुण्ठपुर (स्टापेज बिलासपुर एवं बिलासपुर हाईकोर्ट)
3.	रायपुर से कोरबा (स्टापेज बिलासपुर एवं बिलासपुर हाईकोर्ट)
4.	रायपुर से बिलासपुर (स्टापेज बिलासपुर हाईकोर्ट)
5.	रायपुर से जांजगीर-चांपा (स्टापेज बिलासपुर हाईकोर्ट)
6.	रायपुर से रायगढ़ (स्टापेज बिलासपुर हाईकोर्ट)
7.	रायपुर से सारंगढ़ (स्टापेज बलौदाबाजार)
8.	रायपुर से महासमुंद (नान-स्टाप)
9.	रायपुर से गरियाबंद (नान-स्टाप)
10.	रायपुर से धमतरी (नान-स्टाप)

(1)	(2)
11.	रायपुर से कांकेर (नान-स्टाप)
12.	रायपुर से जगदलपुर (स्टापेज कोण्डागांव)
13.	रायपुर से बालोद (स्टापेज दुर्ग)
14.	रायपुर से दुर्ग (नान-स्टाप)
15.	रायपुर से राजनांदगांव (नान-स्टाप)
16.	रायपुर से बेमेतरा (नान-स्टाप)
17.	रायपुर से मुंगेली (नान-स्टाप)
18.	रायपुर से कवर्धा (स्टापेज बेमेतरा)

No. F-5-02/VIII/Trans./2018.—Whereas, the State Government is of the opinion that 50% exemption from monthly tax payable under sub-clause (C) of clause (1) of sub-item (d) of item IV of first Schedule should be given for the promotion of long distance, non-stop, air conditioned, stage carriage services under the scheme "Rajdhani Bus Sewa"

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, exempts, monthly tax payable under sub-clause (C) of clause (1) of sub-item (d) of item IV of First Schedule by 50% subject to the following conditions and with effect from the date of publication in the Official Gazette, namely :—

1. After the publication of this notification, 50% of the exemption shall be valid for one year from the date of operation of the services under valid permits.

2. The vehicle shall not be stopped for the convernience of passengers and picking up of passangers at any stoppage other then the stoppage mentioned in the routes given in Table "A"

3. The operators shall operate the stage carriages on the basis of allotted time table.

4. The operator shall comply with the colors shceme of said Rajdhani Bus Sewa (air conditioned) as decided by the Government.

5. The stage carriage plying in this scheme designed as Rajdhani Bus Sewa shall not be more than 5 years old from the date of registration and at the time of granting the permit it shall not be more than 02 years old from the date of registration.

6. Such stage carriage shall be Deluxe air conditioned and the seating capacity shall not be less than 35+2 seats.

7. A sleeper coach constructed under rules 170-A to 170-F of the Chhattisgarh Motor Vehicles rules 1994 shall not be allowed under this scheme.

8. Concerned permit granting authority shall determine the date of operation of such stage carriage service and shall mention such date of operation in the concerning tax register.

9. Any other conditions imposed by the permit granting authority shall be observed by the bus operator.

TABLE "A"

S. No. (1)	Routes (2)
1.	Raipur to Ambikapur (Stoppage Bilaspur and Bilaspur High Court)
2.	Raipur to Baikunthpur (Stoppage Bilaspur and Bilaspur High Court)
3.	Raipur to Korba (Stoppage Bilaspur and Bilaspur High Court)
4.	Raipur to Bilaspur (Stoppage Bilaspur High Court)
5.	Raipur to Janjgir-Champa (Stoppage Bilaspur High Court)
6.	Raipur to Raigarh (Stoppage Bilaspur High Court)
7.	Raipur to Sarangarh (Stoppage Baloda Bazar)
8.	Raipur to Mahasamund (Non-stop)
9.	Raipur to Gariyaband (Non-stop)
10.	Raipur to Dhamtari (Non-stop)
11.	Raipur to Kanker (Non-stop)
12.	Raipur to Jagdalpur (Stoppage Kondagaon)
13.	Raipur to Balod (Stoppage Durg)
14.	Raipur to Durg (Non-stop)
15.	Raipur to Rajnandgaon (Non-stop)
16.	Raipur to Bemetara (Non-stop)
17.	Raipur to Mungeli (Non-stop)
18.	Raipur to Kawardha (Stoppage Bemetara)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. पाल, विशेष सचिव.

मछली पालन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 6-21/36/तकनीकी/2007/561.—राज्य शासन, एतद् द्वारा के. के. चौधरी, चंगोराभाठा, रायपुर को "छत्तीसगढ़ मुछुआ कल्याण बोर्ड" में सदस्य के रूप में नामांकित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2017

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ 7-06/2017/32 पार्ट-2.—जिला महासमुंद के अंतर्गत भवंरपुर निवेश क्षेत्र की सीमाओं में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करने संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10-08-2017 जो छत्तीसगढ़ राजपत्र 22-9-2017 में प्रकाशित हुई है, में अंकित छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, "1084" के स्थान पर "1984" पढ़ा जाये.

नया रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ 4-12/2004/32.—ऐसे उद्योगों/खदानों/नगरीय निकायों/ईको-क्लब स्कूल/संस्था/व्यक्तियों, जिनका प्रदर्शन पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट हो, को वनवासी संत गहिरा गुरूजी महाराज छत्तीसगढ़ पर्यावरण पुरस्कार प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के निर्णय के अनुशरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ .—**
   (1) ये नियम वनवासी संत गहिरा गुरूजी महाराज छत्तीसगढ़ पर्यावरण पुरस्कार नियम, 2017 कहलायेगा.

   (2) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **पुरस्कार का नाम.—** वनवासी संत गहिरा गुरूजी महाराज छत्तीसगढ़ पर्यावरण पुरस्कार.

3. **पुरस्कार की श्रेणियां.—** नियम 2 में उल्लेखित पुरस्कार (पुरस्कार की राशि सहित), निम्नलिखित श्रेणियों में दिया जायेगा, अर्थात् :—

क्र. (1)	श्रेणी (2)		राशि (3)
1.	मध्यम एवं वृहद श्रेणी के उद्योग	:—	रु. 1,00,000/-
2.	लघु श्रेणी के उद्योग	:—	रु. 50,000/-
3.	उत्खननरत खदान	:—	रु. 50,000/-
4.	नगर पालिक निगम/नगर पालिका/नगर परिषद्	:—	रु. 1,00,000/-
5.	ईको-क्लब स्कूल	:—	रु. 50,000/-
6.	संस्था	:—	रु. 50,000/-
7.	व्यक्तिगत श्रेणी	:—	रु. 50,000/-

4. **पुरस्कार हेतु चयन समिति :—** चयन समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

क्र. (1)	सदस्य (2)		पदनाम (3)
1.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर	:—	अध्यक्ष

(1)	(2)		(3)
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग	:—	सदस्य
3.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ शासन	:—	सदस्य
4.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग विभाग	:—	सदस्य
5.	संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास	:—	सदस्य
6.	प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी., रायपुर	:—	सदस्य
7.	सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल	:—	सदस्य सचिव

5. **पुरस्कार की शर्तें.—** पुरस्कार, निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर दिया जायेगा,—

(एक) ऐसे उद्योगों/खदानों/नगरीय निकायों के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा या वे ही इस पुरस्कार के लिए आवेदन के पात्र होंगे जिनके पास जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत जारी चालू अवधि के लिए सहमति/नवीनीकरण का पत्र तथा परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन ओर सीमा पार संचलन) नियम, 2008/नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1999 के अधीन प्राधिकार पत्र हों.

(दो) ऐसे प्रस्ताव पर ही विचार किया जाएगा, जो विहित रीति में सम्पूर्ण संलग्नों सहित अपने प्रस्ताव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को 30 अप्रैल, तक प्रस्तुत करेंगे जिसमें 31 मार्च तक की स्थिति बतायी जाएगी.

(तीन) समिति सभी प्रकरणों की छानबीन करेगी तथा प्राप्त दावों का परीक्षण करेगी तत्पश्चात् उद्योगों/खदानों/नगरीय निकायों/ ईको-क्लब स्कूल/संस्था/व्यक्तिगत श्रेणी के नाम या नामों की सिफारिश करेगी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार दिया जाना चाहिए. यदि आवश्यक हो, तो समिति कार्यक्षेत्र में जाकर भी कार्यों की समीक्षा कर सकेगी.

(चार) यदि किसी वर्ष समिति के विचार में कोई सराहनीय नामांकन प्राप्त नहीं हुआ है और समिति किसी का नाम नहीं सुझाती है तो उस प्रभाव की सिफारिश की जाएगी. यदि समिति 01 से अधिक नाम किन्तु 02 तक सिफारिश करती है तो पुरस्कार की रकम उन दोनों में समान रूप से वितरित की जाएगी.

(पांच) समिति पुरस्कारों के चयन हेतु अपनी स्वयं की प्रक्रिया का निर्धारण करेगी.

(छः) समिति द्वारा की गयी सिफारिश अंतिम मानी जाएगी. लेकिन राज्य सरकार पुरस्कारों की पुष्टि करने के लिए समिति की सिफारिश पर अंतिम विनिश्चिय लेगी.

(सात) पुरस्कार की राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा वहन की जावेगी.

(आठ) यह पुरस्कार प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आयोजित एक औपचारिक समारोह में दिया जाएगा.

(नौ) उक्त नियम के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से इस विभाग का आदेश क्रमांक 561/सं.पर्या./वि./2002 दिनांक 18-11-2002 निरस्त माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 3 मार्च 2018

क्रमांक 61/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	मुरू प.ह.नं. 35	24.63	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 मार्च 2018

क्रमांक 62/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	लाखासार प.ह.नं. 32	15.27	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 मार्च 2018

क्रमांक 70/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	जरौधा प.ह.नं. 25	34.57	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 मार्च 2018

क्रमांक 71/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	देवरीखुर्द प.ह.नं. 25	11.15	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 मार्च 2018

क्रमांक 72/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	चनाडोंगरी प.ह.नं. 15	22.89	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 3 मार्च 2018

क्रमांक 07/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भरारीभाठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.166 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	803/1	0.032
	807/1	0.077
	807/5	0.049
	808/1	0.008
योग	4	0.166

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भौंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2017

क्रमांक 4133/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-जरही/2017.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, अंबिकापुर (छ.ग.) द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट जरही निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं. इस सूचना की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

जरही निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम मेरहटा, गोंदा एवं सत्तीपारा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम सत्तीपारा, गोंदा, मेरहटा, दुरती एवं बंशीपुर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम बंशीपुर एवं कोरन्धा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम कोरन्धा, जरही सिन्धोपारा, दुरती एवं मेरहटा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की समयावधि के भीतर निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में कार्यकारी दिवसों में (अवकाश को छोड़कर) खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, पुराना रोजगार कार्यालय, रिंग रोड, नमनाकला, अम्बिकापुर (छ.ग.)

No. 4133/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-जरही/2017.— The existing land use map and register for the Jarhi Planning Area Existing land use map and Register was published under Sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973).

Therefore, a notice is hereby given for general information of the public that the Existing Land use map and Register of Jarhi Planning Area, Existing land use map and Register so prepared and published are duly adopted by the Assistant Director Town & Country Planning, Ambikapur under the Provision of sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazette. Under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted on date.

SCHEDULE

Limits of Jarhi Planning Area

NORTH : Village Merhata, Gonda and upto the Northern limit of Sattipara.
EAST : Village Sattipara, Gonda, Merhata, Durati and upto the Eastern limit of Banshipur.
SOUTH : Village Banshipur and upto the Southern limit of Korandha.
WEST : Village Korandha, Jarhi, Sendhopara, Durati and upto the Western limit of Merhata.

The said adopted map and Register shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site : Office of the Assistant Director, Town & Country Planning Ring Road No. 1, Old Employment Office, Namnakala, Ambikapur (C.G.)

अम्बिकापुर, दिनांक 10 नवम्बर 2017

क्रमांक 4256/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-प्रतापपुर/2017.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, अंबिकापुर (छ.ग.) द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतापपुर निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं. इस सूचना की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

प्रतापपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम सातपुरखा पहाड़, बरऊल, खजुरी, रामपुर, शिवपुर, बयकोना, सौतार, सेमरकला एवं सिलौटा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम सिलौटा, सेमरकला, सौतार, बयकोना, टुकुडांड एवं जामी पहाड़ ग्रामों पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम जामी पहाड़ एवं गोटगवां ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम गोटगवां, खोरमा, करंजवार एवं सातपुरखा पहाड़ ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की समयावधि के भीतर निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में कार्यकारी दिवसों में (अवकाश को छोड़कर) खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, पुराना रोजगार कार्यालय, रिंग रोड, नमनाकला, अम्बिकापुर (छ.ग.)

No. 4256/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-प्रतापपुर/2017.— Notice is hereby given for general information of the public that the Existing Land use map and Register of Pratappur Planning Area Existing land use map and Register so prepared and published are duly adopted by the Assistant Director Town & Country Planning, Ambikapur under the Provision of sub-section (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazette. Under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted on date.

SCHEDULE

Limit of Pratappur Planning Area

NORTH : Village Satpurkha Pahad, Baraul, Khajuri, Rampur, Shivpur, Baikona, Sautar, Semarkala & upto the Northern limit of Silauta.

EAST : Village Silauta, Semarkala, Sautar, Baikona, Tukudand & upto the Eastern limit of Jami Pahad.

SOUTH : Village Jami Pahad & upto the Southern limit of Gotgawan.

WEST : Village Gotgawan, Khorma, Karanjwar & upto the Western limit of Satpurkha Pahad.

The said adopted map and Register shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site : Office of the Assistant Director, Town & Country Planning, Ring Road No. 1, Old Employment Office, Namnakala, Ambikapur (C.G.).

अम्बिकापुर, दिनांक 10 नवम्बर 2017

क्रमांक 4261/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-रामानुजगंज/2017.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, अंबिकापुर (छ.ग.) द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट रामानुजगंज निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं. इस सूचना की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

रामानुजगंज निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कनकपुर उर्फ टाटू, लूरगी एवं रामानुजगंज ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम रामानुजगंज, पुरानडीह, कमलपुर एवं कृष्णनगर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम नवापारा, ताम्बेश्वर नगर, भंवरमाल एवं कृष्णनगर ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम कनकपुर उर्फ टाटू, आरागाही, नवापारा, ताम्बेश्वर नगर एवं भंवरमाल ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की समयावधि के भीतर निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में कार्यकारी दिवसों में (अवकाश को छोड़कर) खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, पुराना रोजगार कार्यालय, रिंग रोड, नमनाकला, अम्बिकापुर (छ.ग.)

No. 4261/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-रामानुजगंज/2017.— Notice is hereby given for general information of the public that the Existing Land use map and Register of Ramanujganj Planning Area, Existing land use map and Register so prepared and published are duly adopted by the Assistant Director Town & Country Planning Ambikapur under the Provision of sub-section (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazette. Under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted on date.

SCHEDULE

Limit of Ramanujganj Planning Area

NORTH : Village Kanakpur alias Tatoo, Lurgi & upto Tha Northern limit of Ramanujganj.
EAST : Village Ramanujganj, Purandih, Kamalpur & upto the Eastern limit of Krishna Nagar.
SOUTH : Village Nawapara, Tambeshwar Nagar, Bhanwarmal & upto the Southern limit of Krishna Nagar.
WEST : Village Kanakpur alias Tatoo Aragahi, Nawapara, Tambeshwar Nagar & upto the Western limit of Bhanwarmal.

The said adopted map and Register shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site : Office of the Assistant Director, Town & Country Planning, Ring Road No. 1, Old Employment Office, Namnakala, Ambikapur (C.G.).

एन. एस. ठाकुर,
सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 22nd January 2018

No. 34/Confdl./2018/II-3-1/2018.—The Following Senior Civil Judge as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date she assumes charge of their offices :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Ku. Sweta, Secretary, District Legal Services Authority.	Jagdalpur	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	II Civil Judge Class-I.

Note :— The Registry order No. 19/Confdl./2018/II-3-1/2018 dated 18-01-2018, so far it relates to transfer of Ku. Sweta, Secretary, District Legal Services Authority, Jagdalpur to Raipur, is hereby cancelled.

By order of the High Court,
GAUTAM CHOURADIA, Registrar General.